## श्रीमान् राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

III / निगरानी / सीधी / भू-रा / 2017 / 1795

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट
द्वारा आज दि. 16-6-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.6.17

बृजभान तनय स्व0 मुसई जायसवाल, उम्र– 70 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– पड़िला कला, तहसील– चुरहट, जिला–सीधी (म.प्र.) --------- निगरानीकर्ता

**बनाम**

1. धर्मदास तनय स्व0 मुसई जायसवाल उम्र– 80 वर्ष, पेशा– खेती,
2. वंशरूप तनय लोलर उम्र– 65 वर्ष, पेशा– खेती,
3. दुलारे तनय औसेरी उम्र– 75 वर्ष, पेशा– खेती,
4. रामस्वरूप तनय लोलर उम्र– 70 वर्ष, पेशा– खेती,
5. गंगा तनय ललई उम्र– 65 वर्ष, पेशा– खेती,
6. सुखनन्दन तनय बेनी उम्र– 87 वर्ष, पेशा– खेती,
7. भैयालाल तनय रामकुमार उम्र– 40 वर्ष, पेशा– खेती,
8. छोटे तनय गणेश सोंधिया उम्र– 55 वर्ष, पेशा– खेती,
9. शिवकरन तनय कुनकाई साहू उम्र– 72 वर्ष, पेशा– खेती,
10. काशी तनय रामकुमार उम्र– 67 वर्ष, पेशा– खेती,
11. श्रीमान तनय दुलारे यादव उम्र– 45 वर्ष, पेशा– खेती,

    सभी निवासी ग्राम– जोगी बहरा, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
12. म0प्र0 शासन --------- उत्तरवादीगण

मुकेश भार्गव
16.6.17 एडवोकेट
ग्वालियर

29/3/17

**निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 62 / अ–19(4) / 1981–82 आदेश दिनांक– 13.11.1981 जिसके द्वारा नितान्त अवैधानिक तरीके से ग्राम– जोगी बहरा, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक– 133 / 2 रकवा 0.270 है0, 142 रकवा 0.810 है0, 143 / 1**

उक्त भूमि ... उत्तरवादी

**रकवा 0.890 है0 कुल किता– 3 योग रकवा 1.970 है0 भूमि का व्यवस्थापन पट्टा उत्तरवादी क्रमांक– 1 के नाम स्वीकार किया गया है।**

**निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959**

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित निगरानी याचिका प्रस्तुत है:–

## निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि ग्राम– जोगी बहरा, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक– 133/2 रकवा 0.270 है0, 142 रकवा 0.810 है0, 143/1 रकवा 0.890 है0 कुल किता– 3 योग रकवा 1.970 है0 निगरानीकर्ता व उत्तरवादी क्रमांक– 1 के पिता मुसई जायसवाल के कब्जे, दखल की शासकीय भूमि थी जिसे मुसई जायसवाल ने उसे समतल व उपजाऊ बनाकर उस पर कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। बाद में मुसई जायसवाल ने उक्त भूमियों का पट्टा अपने बड़े पुत्र उत्तरवादी क्रमांक– 1 धर्मदास जायसवाल के नाम राजस्व प्रकरण क्रमांक– 62/अ–19(4)/1981–82 आदेश दिनांक– 13.11.1981 के द्वारा तहसीलदार महोदय, तह0– गोपदबनास के न्यायालय से करा दिया उक्त भूमियों के अतिरिक्त ग्राम– कोल्हूडीह, तह0– चुरहट, जिला– सीधी में कुल– 17 किता रकवा 1.180 है0 मुसई जायसवाल के स्वामित्व में थी मुसई जायसवाल की ग्राम– कोल्हूडीह की भूमियाँ निगरानीकर्ता के एक अन्य भाई चन्द्रभान जायसवाल को हिस्से में प्राप्त हुई तथा ग्राम– जोगी बहरा की तीन किता भूमियाँ रकवा 1.970 है0 जो निगरानी याचिका के पैरा क्रमांक– 1 में वर्णित है उत्तरवादी क्रमांक– 1 को हिस्से में प्राप्त हुईं तथा निगरानीकर्ता को ग्राम– मड़िला कला की 8 किता भूमियां रकवा 0.810 है0 निगरानीकर्ता को हिस्से में प्राप्त हुई।

2. यह कि निगरानीकर्ता ग्राम– जोगी बहरा की भूमियों में अपना हिस्सा त्याग कर उसके एवज में प्राप्त मड़िला कला की 8 किता भूमियाँ योग रकवा 0.810 है0 हिस्से में प्राप्त किया तथा अपने–अपने हक, हिस्से की भूमियों को सुधार, व्यवस्था इत्यादि कर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। ग्राम– जोगीबहरा, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी की आवेदित भूमियां 133/2 रकवा 0.270 है0, 142 रकवा 0.810 है0, 143/1 रकवा 0.890 है0 कुल किता– 3 योग रकवा 1.970 है0 का पट्टा उत्तरवादी क्रमांक– 1 के नाम होने के कारण उत्तरवादी क्रमांक– 1 उक्त भूमियों का स्वअर्जित

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / सीधी / भू0राज0 / 2017 / 1795

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3–11–2017 | आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की है बल्कि नकल प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा तहसीलदार गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 62 / अ–19(4)1981–82 में पारित आदेश दिनांक 13–11–1981 दिनांक 16–6–17 को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के संबंध में मात्र यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अनावेदकगण द्वारा भूमि को विकय करने की धमकी दी गई तब जानकारी हुई। 36 वर्ष तक आदेश की जानकारी नहीं होने से विलम्ब हेतु जो कारण म्याद अधिनियम की धारा 5 में दर्शाये हैं उनके आधार पर 36 वर्ष का दीर्घकालिक असाधारण विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |